रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2016/माघ 20, 1937
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2016/ MAGHA 20, 1937

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

यूजीसी(सम–विश्वविद्यालय रूपी संस्थान)(तृतीय संशोधन) विनियम 2016

मि.सं.6–1(ii)/2006(सीपीपी–I/डीयू.–1.(1) ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम–विश्वविद्यालय रूपी संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2016 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से ही लागू होंगे।

1. विनियमों की धारा 12.03ए में निम्न परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, नामतः–
   "बशर्ते वाह्य परिसरों के विषय में उपरोक्त प्रतिबन्ध उन सम– विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिन मानित विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा स्थापित एवं प्रबन्धित किया गया है।"
2. इन विनियमों के अनुलग्नक 2 में :–
   धारा 6.2 (कुलपति) की उप–धारा (i), निम्न द्वारा प्रतिस्थापित होगी, नामतः–
   "(i) कुलपति सम–विश्वविद्यालय संस्थान के पूर्ण कालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति विजिटर/कुलाधिपति द्वारा खोज–सह–चयन समिति द्वारा सुझाये गए तीन नामों के पैनल में से की जाएगी ।"
   कौशल, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता से जुड़े उच्चतम स्तरों वाले व्यक्ति ही कुलपतियों के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं। नियुक्त किये जाने वाले कुलपति, एक ऐसे विशिष्ट शिक्षाविद् होने चाहिए जिन्हें विश्वविद्यालयी प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम दस वर्ष का प्रोफेसर के रूप में अनुभव है अथवा किसी प्रतिष्ठित शोध/अथवा अकादमिक प्रशासनिक संगठन में समतुल्य पद पर दस वर्ष का अनुभव है।
   कुलपति का चयन खोज–सह–चयन समिति के गठन के अनुसार निम्नवत् किया जाएगाः–

I. ऐसे मामले, जहां किसी सम–विश्वविद्यालय संस्थान का प्रबन्धन नियन्त्रण, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के हाथ में हैं, इन मामलों में कुलपति का चयन उस प्रणाली के अनुसार किया जाएगा जैसे कि केन्द्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

II. ऐसे मामले, जिनमें उस सम–विश्वविद्यालय संस्थान का निधियन सरकार द्वारा अथवा उसकी ऐजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है, और ऐसा निधियन उनके द्वारा किये गये व्यय का 50%, अथवा इससे अधिक है (जो गत तीन वर्ष के लेखों की औसत पर आधारित है), उन मामलों में खोज सह–चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा:–

(अ) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति

(ब) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो यूजीसी के विचार–विमर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होगा।

(स) प्रबन्धन बोर्ड का एक मनोनीत व्यक्ति।

III. ऐसे मामले जहां निधियन, किए गए व्यय का 50%, से कम है, वहां पर खोज–सह–चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा:–

(अ) विज़िटर / कुलाधिपति का एक मनोनीत जो कि उस समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा।

(ब) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति

(स) उस सम–विश्वविद्यालय संस्थान की सिंडिकेट / कार्यकारी परिषद / प्रबन्धन बोर्ड का एक मनोनीत व्यक्ति

प्रोफेसर (डॉ0) जसपाल सिंह सन्धू, सचिव

[विज्ञापन- III / 4 / असा. / 360]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

[UGE (Institutions Deemed To Be Universities) (Third Amendment) Regulations, 2016]

No. F. 6-1(ii)/2006(CPP-I/DU).— 1.(1) These may be called the UGC (Institutions Deemed to be Universities) (Third Amendment) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Clause 12.03A of the Regulations, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the above restriction with regard to the number of off-campuses shall not apply to the Institutions Deemed to be Universities that are established and managed by the Government."

3. In Annexure 2 of the Regulations-

For sub-clause (i) of Clause 6.2 (Vice-Chancellor) the following shall be substituted, namely:-

"(i) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of Institution Deemed to be University and shall be appointed by the Visitor/Chancellor from a panel of three names suggested by a Search-cum-Selection Committee.

Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed shall be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

The procedure/composition of Search-cum-Selection-Committee (SCSC) for selection of Vice-Chancellor shall be as under:

I. In case, where Management Control of an Institution Deemed to be University is with the Central Government or the State Government, the Vice-Chancellor shall be appointed in accordance with the procedure laid down by the Central Government or the State Government, as the case may be.

II. In case, where the funding to the Institution Deemed to be University by the Government or by its Agencies is more than or equal to 50% of its expenditure (based on average of previous three year account) the composition

of Search-cum-Selection-Committee shall be as under:

(a) A nominee of Chancellor

(b) A nominee of the Central Government; who shall be an eminent academic nominated by the Government in consultation with UGC

(c) A nominee of Board of Management

III. In case, where funding is less than 50% of its expenditure, the composition of Search-cum-Selection Committee shall be as under:

(a) A nominee of the Visitor/Chancellor, who shall be the Chairperson of the Committee

(b) A nominee of the Chairman, University Grants Commission

(c) A nominee of the Syndicate/Executive Council/Board of Management of the Institution Deemed to be University

Prof. (Dr.) JASPAL S. SANDHU, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./360]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.